न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 193/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– पुखराज पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी बिंजवाडिया तहसील तिवंरी जिला जोधपुर 2– रामचन्द्र पुत्र चुतराराम जाति माली निवासी बिंजवाडियां तहसील तिंवरी जिला जोधपुर		1– मदनलाल पुत्र रामचन्द्र 2– बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र 3– जयनारायण पुत्र रामचन्द्र जातियान माली निवासीगण बिंजवाडिया तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–2015 जो अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 41/2012 अनवान मदनलाल वगैरा बनाम रामचन्द्र वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशन लाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12–4–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिंजवाडियां तहसील ओसियां के खसरा नंबरान 187/3 एवं 188/3 की क्रमशः 15 बीघा एवं 7.06 बीघा भूमि रामचन्द्र पि0 चुतराराम जाति माली के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार ने खसरा नंबर 187/3 की 15 बीघा भूमि का पंजीकृत बेचान अपने एक पुत्र पुखराज पुत्र रामचन्द्र जाति के पक्ष मे दिनांक 14–10–2011 को कर दिया जिसके संबंध मे उक्त खातेदार के अन्य पुत्रान वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने एक राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि ग्राम बिंजवाडिया स्थित खसरा नंबर 187/3 की 15 बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जासुदा एवं काश्तसुदा अविभाजित पैतृक भूमि है जिसमे अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का जन्म से ही बराबर का अधिकार होते हुए उक्त भूमि के खातेदार रामचन्द्रजी द्वारा सम्पूर्ण भूमि का किया गया बेचान विधिविरूद्ध है तथा रामचन्द्र को अपने हिस्से की भूमि का ही बेचान करने का अधिकार था इसलिए अपीलाधीन भूमि का किया गया बेचान नल एण्ड वॉईड है तथा प्रार्थीगण के हितो के विपरीत होने से प्रार्थीगण को उक्त बापोती एवं कब्जा काश्त की भूमि पर से बेदखल नही करने बाबत निवेदन किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण इस आशय की जारी करने का निवेदन किया कि उक्त बेचानसुदा भूमि के 1/2 हिस्से से अप्रार्थीगण

किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे एवं प्रार्थीगण को बेदखल नही करे न ही किसी से करावे तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति दावे के रोज की कायम रखी जाने का निवेदन किया । जिस पर उभयपक्ष की बाद सुनवाई के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने अपने आदेश दिनांक 26–9–2012 के प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के आदेश दिनांक 26–9–2012 को राजस्व अपील के निर्णय तक स्थगित करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश दिनांक 8–10–2012 को पारित कर दिया । इस दौरान म्युटेशन संख्या 1121 जो कि पंजीबद्ध बेचान के आधार पर वर्तमान अपीलांट संख्या 1 पुखराज पुत्र रामचन्द्र के पक्ष मे भरा जाकर प्रस्तुत किया, बाद मे उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 14 मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के आदेश दिनांक 26–9–12 का भी उल्लेख करते हुए पटवारी हल्का ने दिनांक 27–9–2012 को पेश किया, जिसे उप तहसीलदार तिंवरी ने दिनांक 8–10–2012 को डिक्री आदेश की पालना मे स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 1121 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–12–2015 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1121 पर उप तहसीलदार तिवरी द्वारा दिनांक 8–10–12 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया जाने पर यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण को केवल तकनीकी बिन्दु के आधार पर खारीज करने मे विधिक भूल की है तथा कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करवाये बिना उस विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 को अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश करने का अधिकार ही नही था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील पेश की है उसके साथ अपील पेश करने की अनुमति का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि नामांतरकरण स्वीकृति के समय उप तहसीलदार तिवंरी के समक्ष कोई स्थगन आदेश किसी न्यायालय का प्रस्तुत नही किया गया था जबकि नामांतरकरण पहले से ही विचाराधीन था तो ऐसे मे अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि जब न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर से दिनांक 8–10–12 को ही न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के आदेश दिनांक 26–9–2012 को राजस्व अपील के निर्णय तक स्थगित करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित हो चुके थे तो अपीलाधीन म्युटेशन को न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के आदेश का उल्लेख करते हुए स्वीकृत करने का कोई ओचित्य नही था क्योकि उक्त आदेश दिनांक 26–9–12 तो नामांतरकरण स्वीकृति के समय निरस्त हो चुका था तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित हो चुके थे इसलिए उप तहसीलदार तिवंरी द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1121 पर पारित किया गया आदेश विधिविरूद्ध होने से उसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा निरस्त किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच चल रहे नियमित वाद एवं अपील के निर्णय से ही उनके हक अधिकारो का निर्धारण होना है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1121 का भी अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1121 जो कि पटवारी द्वारा अपीलांट के पक्ष मे हुए पंजीकृत विक्रय एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के प्रकरण संख्या 158/2011 मे दिनांक 26–9–2012 को पारित आदेश के क्रम मे भरा है जिस पर नायब तहसीलदार तिवंरी ने डिग्री आदेश की पालना मे स्वीकृत लिखा है, जो त्रुटिपूर्ण है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी प्रकट हो चुका था कि पक्षकारो के बीच अपीलाधीन भूमि के संबंध मे नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे पारित होने वाले निर्णय से ही पक्षकारो के हक अधिकारो का निर्धारण

होना है एवं राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे अपील भी विचाराधीन है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम तथ्यो का उल्लेख करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है । अपीलांट अपने हक हकूको के लिए विचाराधीन नियमित वाद मे चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–12–2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12–4–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर